कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं0– 09/उपा0बीज0अनु0–56/2017 /कृ0 पटना, दिनांक 2017

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा0 प्र0 से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स नैनीताल तराई सीड्स लि0,
ग्राम+पो0–हरपुर बेलवा,
जिला–वैशाली

विषय : **बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र–ए,कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक–7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:–

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा–पूरा पालन करेगें।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय–समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 44/2017 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेगें।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 16/10/2020 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक–2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :–बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6385 /कृ0, पटना, दिनांक 17/10/,2017

प्रतिलिपि:– 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई02टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

17.10.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।